

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक एफ 21 (7)2023-24 / विकास / प्रमुवस / 5976
 कार्यालय आदेश

दिनांक: 20/07/2023

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 118 (VI) Grass Land and Wetland Development (दिनांक 10.02.2023) की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 21(7)2023-24 / विकास / प्रमुवस / 5071 दिनांक 23.06.2023 द्वारा चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलो से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, 01-परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, 63-वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को प्रत्याहर्षित कर निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	क्षेत्रफल (है० में)	मॉडल दर प्रति है० (रुपये में)	आवंटित राशि (रु.लाखों में)	
मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	उप वन संरक्षक, पाली	200	42000	84.00	
	उप वन संरक्षक, सिरोही	200	40000	80.00	
	उप वन संरक्षक, बाडमेर	300	42000	126.00	
मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	उप वन संरक्षक, चूरू	450	42000	189.00	
	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	200	42000	84.00	
	उप वन संरक्षक, IGNP STAGE- II, छत्तरगढ़	100	42000	42.00	
	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर	200	42000	84.00	
मुख्य वन संरक्षक, कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	400	40000	160.00	
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	450	40000	180.00	
	उप वन संरक्षक, उदयपुर	400	40000	160.00	
	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	200	40000	80.00	
मुख्य वन संरक्षक, बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	150	40000	60.00	
	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	400	42000	168.00
	उप वन संरक्षक, सीकर	400	42000	168.00	
मुख्य वन संरक्षक, अलवर	उप वन संरक्षक, अलवर	150	40000	60.00	
	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	400	40000	160.00
	उप वन संरक्षक, करौली	100	40000	40.00	
मुख्य वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	200	40000	80.00	
	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द	400	40000	160.00
	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौड़गढ़	500	40000	200.00	
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	300	40000	120.00	
	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, सरिस्का (अलवर)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, सरिस्का	400	40000	160.00
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जैसलमेर	800	42000	336.00	

Signature

22/7/2023 E

P.T.O

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	क्षेत्रफल (हे० में)	मॉडल दर प्रति हे० (रूपये में)	आवंटित राशि (रु.लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा	उप वन संरक्षक, MNP, कोटा	400	40000	160.00
	उप वन संरक्षक, RVTR, बूंदी	400	40000	160.00
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, आर.टी.आर. सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, KNP, भरतपुर	400	40000	160.00
	उप वन संरक्षक, आर.टी.आर. प्रथम, सवाईमाधोपुर	400	40000	160.00
	उप वन संरक्षक, आर.टी.आर. द्वितीय, करौली	400	40000	160.00
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	उप वन संरक्षक, नागौर	400	42000	168.00
	उप वन संरक्षक, अजमेर	100	42000	42.00
योग:-		9800		3991.00

- कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-
उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
- उक्त कार्य बजट घोषणा के अनुरूप Model Cost Norms Grassland Development (Desert Area and Non - Desert Area) के अनुसार विकास कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
- बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- वन विकास कार्यों को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

१०
(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/ 5977-6020 दिनांक: 20/7/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/जयपुर/भरतपुर/ वन्यजीव,उदयपुर/
वन्यजीव,सरिस्का(अलवर)/वन्यजीव,जोधपुर/वन्यजीव,कोटा/वन्यजीव,रणथम्भौर,सवाईमाधोपुर।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
- संबंधित उप वन संरक्षक
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर